(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष

आर0 के0 मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3165–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–8–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 943/अपील/2015–16

रामदास पिता श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ला
निवासी ग्राम विवेक नगर, तहसील मैहर,
जिला सतना (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– रामनरेश पिता स्व.श्री द्वारिका प्रसाद
2– रमाकान्त पिता स्व. श्री रामनारायण शुक्ला
3– श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व.श्री रामपवित्र शुक्ला
4– संतोष कुमार पिता स्व. रामपवित्र शुक्ला
5– अजय कुमार शुक्ला पिता स्व. श्री रामपवित्र शुक्ला
सभी निवासीगण ग्राम पहाड, तहसील मैहर,
जिला सतना (म.प्र.) ....गैरनिगरानीकर्तागण

———

(निगरानीकर्ता के अधिवक्ता श्री डी.एस.चौहान)
(गैरनिगरानीकर्ता कमांक–1 के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आदेश

(आज दिनांक 29/6/– 2018 को पारित)

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 943/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16–8–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, तहसील मैहर के गाम पहाडी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 422 रकवा 0.878 हैक्टेयर , 78/1 रकवा 4.583 हैक्टेयर एवं 79 रकवा 0.063 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकवा 5.524 हैक्टेयर जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारिका प्रसाद पुत्र शिवरतन ब्रा0 थें। अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारिका प्रसाद के फौत हो जाने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत पहाडी द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 27 दिनांक 14–3–2012 में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 14–4–2012 में पारित प्रस्ताव कमांक 35 से मृतक द्वारिका प्रसाद के वैध वारिसान निगरानीकर्ता तथा गैरनिगरानीकर्तागण के हक में नामान्तरण प्रमाणित किया गया। ग्राम पंचायत पहाडी द्वारा पारित नामान्तरण प्रमाणीकरण दिनांक 14–4–2012 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता क.–1 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मैहर के न्यायालय में अपील दिनांक 22–4–2016 को प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुआ बिलम्व को मार्फ किये जाने बावत अवधि विधान की धारा–5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, मैहर द्वारा प्रकरण कमांक 68/2015–16/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 13–5–2016 से ग्राम पंचायत पहाडी द्वारा पारित नामांतरण प्रमाणिकरण दिनांक 14–4–2012 निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की जाकर, गैरनिगरानीकर्ता क.–1 पूर्व में हुये विभाजन पत्र के आधार पर अपने नाम नामांतरण की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है। अनुविभागीय अधिकारी, मैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2016 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 943/अपील/2015–16 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 16–8–2016 से निरस्त की गई। परिणामतः निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आहूत किये जाकर उभय पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुने गये।

4– निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने लिखित तर्क प्रायः उन्ही बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये है, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। उसके अलावा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि मृतक भूमिस्वामी द्वारिका प्रसाद के द्वारा अपने जीवनकाल में ही निगरानीकर्ता तथा गैरनिगरानीकर्ता के मध्य दिनांक 28–3–2008 को पंजीकृत बंटवारा कर दिया गया था शेष भूमि जो कि द्वारिका प्रसाद के नाम थी, द्वारिका प्रसाद की मृत्यु हो जाने के बाद नामांतरण पंजी कमांक–27 आदेश दिनांक 14–4–2012 से उनके वैध वारिसो निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता के हक में विधिवत नामांतरण स्वीकार किया गया। नामांतरण आदेश दिनांक 14–4–2012 के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता क. –1 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मैहर के न्यायालय में एक अवधि वाहय अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में न तो निगरानीकर्ता को सुना न सुनवाई का अवसर दिया गया। गैरनिगरानीकर्ता क.–2 लगायत–5 के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश दिनांक 14–4–2012 निरस्त किया जाकर, अपील स्वीकार की गई। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जिस सहमति पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, उस सहमति पत्र पर निगरानीकर्ता के न तो हस्ताक्षर है और ना ही निगरानीकर्ता की सहमति ली गई फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निगरानीकर्ता की सहमति मानकर आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि जिस पंजीकृत बंटवारा का उल्लेख गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा किया जा रहा है, वह केवल निगरानीकर्ता ओर द्वारिका प्रसाद (खातेदार) के मध्य ही बंटवारा आदेश निष्पादित हुआ है। गैरनिगरानीकर्ता क.–1 के मध्य कोई बंटवारा लेख निष्पादित ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा बिना अभिलेख का अवलोकन किये आदेश पारित किये गये है वे विधिसम्मत नहीं है। अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारिका प्रसाद की मृत्यु के बाद सभी वारिसानों के

नाम नामांतरण हुआ है जो विधिसम्मत आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूल की गई है और अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा भी उसे स्थिर रखे जाने में गंम्भीर भूल की गई है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, मैहर एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किये जावें और ग्राम पंचायत पहाडी द्वारा पारित नामांतरण प्रमाणीकरण दिनांक 14–4–2012 यथावत रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावें।

5– गैरनिगरानीकर्ता क.–1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि निगरानीकर्ता के द्वारा पंजीकृत विभाजन पत्र के आधार पर हिस्साबांट कराया गया। रामदास के द्वारा ही द्वारिका प्रसाद से दान पत्र सम्पादित कराया गया। रामदास उक्त विभाजन पत्र एवं दान पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराकर पृथक रहने लगा तथा काश्त करने लगा। इस सम्बंध में गैरनिगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा 2012 आर0 एन0 409 गोपीलाल विरूद्ध बंशीलाल में प्रतिपादित न्याय सिद्धान्त की ओर घ्यान आकृषित कराया गया। गैरनिगरानीकर्ता के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि रामनारायण के वारिसान के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना सहमति पत्र पेश किया गया जिसमें जो भूमि पिता द्वारिका प्रसाद के नाम थी, वह गैरनिगरानीकर्ता की है। केवल गैरनिगरानीकर्ता का ही नामांतरण होना चाहिये था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सभी वारिसानों के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त, रीवा सभांग,रीवा द्वारा पारित आदेश पूर्ण विवेचना के आधार पर होने के आधार पर यथावत रखे जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावें।

6– मैंने प्रकरण में उभय पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 422, 78/1 एवं 79 कुल किता 3 कुल रकबा 5.524 हैक्टेयर जिसके अभिलिखित भूमिस्वमी द्वारिका प्रसाद शुक्ला थे द्वारिका प्रसाद शुक्ला के फौत हो जाने के कारण ग्राम पंचायत पहाडी द्वारा प्रस्ताव कमांक 35 दिनांक 14–4–2012 से प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसान के आधार पर निगरानीकर्ता तथा गैरनिगरानीकर्तागण के हक में नामान्तरण प्रमाणीकरण किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता क.–1 के द्वारा पूर्व में हुये विभाजन पत्र के आधार पर नामांतरण एवं बंटवारा की मांग करते हुये 4 वर्ष के बाद अपील अनुविभागीय अधिकारी, मैहर के न्यायालय में पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी, मैहर द्वारा जिस सहमति पत्र के आधार पर आदेश पारित किया गया है, उस सहमति पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उस सहमति पत्र पर निगरानीकर्ता के द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई और न उसके हस्ताक्षर कराये गये ऐसा सहमति पत्र निगरानीकर्ता पर बंधनकारी नहीं है। इसके अलावा प्रकरण में मुख्य कानूनी प्रश्न यह है कि क्या ऐसे सहमति पत्र के आधार पर स्वत्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। यदि ऐसे सहमति पत्रों के आधार पर स्वत्व का अंतरण होता है तो शासन को राजस्व की हानि उठानी पडेगी। अनुविभागीय अधिकारी, जो की प्रथम अपीलीय न्यायालय है, को इन सव बिन्दुओ पर विचार करना चाहिये था, जो नहीं किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि गैरनिगरानीकर्ता को पूर्व विभाजन पत्र से कोई परिवेदना थी तो मृतक द्वारिका प्रसाद के जीवनकाल में ही कार्यवाही करना चाहियें थी। द्वारिका प्रसाद के मरने के बाद बारिसान की जगह पूर्व विभाजन पत्र के आधार पर कार्यवाही की मांग करना न्यायोचित नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि प्रश्नाधीन सर्वे कमांक 422, 78/1 एवं 79 राजस्व अभिलेख में द्वारिका प्रसाद के नाम पर दर्ज थी। द्वारिका प्रसाद की मृत्यु हो जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान के आधार पर नामांतरण करने से पहलें विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया कोई आपत्ति किसी के

द्वारा पेश नहीं की गई। उसके बाद ही प्रस्ताव कमांक 35 दिनांक 14—4—2012 से मृतक द्वारिका प्रसाद के वारिसान जो कि निगरानीकर्ता तथा गैरनिगरानीकर्तागण है, के नाम विधिवत नामांतरण स्वीकार किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये नामांतरण आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी, मैहर के द्वारा केवल पूर्व विभाजन पत्र का सहारा लेकर नामांतरण आदेश को निरस्त किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं था जिसे यथावत रखे जाने में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के द्वारा भी भूल की गई है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, मैहर द्वारा पारित आदेश एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण इस निगरानी में स्थिर रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—5—2016 एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—8—2016 विधिसम्मत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाते है और ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 14—4—2012 यथावत रखा जाता है। प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावें तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावें।

२९/६/१८

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर